Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XII, Issue No. 23, October-2016, ISSN 2230-7540

वर्तमान परिदृश्य में कमजोर होती राजकोषीय संघवाद की जड़े

Dr. Karambir*

Assistant Professor (Political Science), Government College, Dubaldhan, Jhajjar

सार - *भारत राज्यों का एक संघ है। प्रत्येक राज्य के नागरिक स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। निर्वाचित सरकार की प्राथमिक ज़िम्मेदारी उसके मतदाताओं के प्रति जवाबदेहिता है।*

संघात्मक व्यवस्था का तात्पर्य ऐसी शासन प्रणाली से है जहाँ पर संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के मध्य किया जाता है एवं दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं।

विदित है कि वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से प्राप्त कर का केवल एक छोटा हिस्सा ही राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है शेष प्रत्यक्ष कर के हिस्सों को परंपरागत तरीके से राज्यों के मध्य विभाजित किया जाता है।

के संथानम् द्वारा भी वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता जैसी स्थिति को भारतीय संघवाद का असंतुलनकारी पक्ष माना गया है।

कुंजी शब्द *- संघवाद, वस्तु एवं सेवा कर, कराधान, संविधान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था,* GST, *कर-राजस्व पूल*

----------X----------

प्रस्तावना

पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकारों के कराधान के अधिकार को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करके केन्द्र सरकार ने राज्यों की शक्ति को अपने हाथों में केन्द्रित कर लिया है।

राज्यों को कराधान से होने वाले लाभों को तमिलनाडु के श्मध्यान्ह भोजन योजनाश् के उदाहरण से समझा जा सकता है। सन् 1982 में सरकार की इच्छा थी कि इस योजना का विस्तार राज्य के 52,000 सरकारी स्कूलों तक किया जाए। इस हेतु 150 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च को वहन करने के लिए तत्कालीन सरकार ने राज्य में एक अतिरिक्त् सेल्स टैक्स लगा दिया था। आगामी वर्षों में इस योजना से तमिलनाडु की साक्षरता दर, 54 प्रतिशत से बढ़कर 83 प्रतिशत हो गई थी। वर्तमान में केन्द्र सरकार ने राज्यों के अप्रत्यक्ष कर लगाने के अधिकार में घुसपैठ कर ली है। अब उन्हें कर-दर और राजस्व के लिए जीएसटी परिषद् पर निर्भर रहना पड़ता है।

संवैधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद-राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है।

संसद की संघ सूची के पास 15 और राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची के 20 विषयों पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है।

कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है, इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, संवृद्धि कर और व्यय कर लगाएँ हैं।

www.ignited.in

सामान्य विनियमों के अतिरिक्त राज्य विधानमंडल की कर निर्धारण शक्तियों पर निम्नलिखित पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं-

व्यापार, व्यवसाय और रोज़गार पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 2500 रुपए प्रति वर्ष।

खरीद-बिक्री पर कर लगा सकता है लेकिन ऐसी शक्तियों पर भी चार पाबंदियाँ हैं-

राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद-बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

आयात-निर्यात के दौरान खरीद-बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान किसी वस्तु की खरीद-बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता है।

संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत महत्त्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय-विक्रय के आधार पर प्रतिबंध।

ऐतिहासिक मुद्दे:

वर्ष 1982 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. रामचंद्रन सरकारी स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाना चाहते थे ताकि छात्र नामांकन में सुधार हो सके।

इस कार्यक्रम के लिये 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता थी जो राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं था। इस अतिरिक्त व्यय हेतु तमिलनाडु में बेचे जाने वाले सामानों पर अतिरिक्त बिक्री कर लगाया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप तमिलनाडु की साक्षरता दर में तेज़ी से वृद्धि दर्ज़ की गई और कुछ दशकों में तमिलनाडु को भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्यों में गिना जाने लगा।

वर्तमान मुद्दे

वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन के पश्चात् राज्यों ने अप्रत्यक्ष करों को लगाने की अपनी शक्तियाँ खो दीं है। इसके अतिरिक्त भारत में राज्य सरकार के पास आयकर और बिक्री कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

वर्तमान में केंद्र सरकार कुल कर राजस्व पूल का 52% अपने रखता है और शेष 48% सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को वितरित करता है।

सरकार के द्वारा राजकोषीय संघवाद के सुधार हेतु प्रयास

नीति आयोग के निर्माण से वित्तीय केंद्रीकरण की पूर्व स्थिति में बदलाव आया है तथा भारत राजकोषीय संघवाद की ओर तेज़ी से स्थानांतरित हुआ है। इस बदलाव के साथ ही वर्तमान सरकार ने केंद्र-राज्य के मध्य विभिन्न माध्यमों से संघवाद को बढ़ावा दिया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं-

- योजना आयोग की समाप्ति तथा इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन।
- केंद्र-राज्य संबंधों को ध्यान में रखकर ळैज् परिषद का गठन।
- राजकोषीय विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राज्यों के खर्च पर केंद्र का नियंत्रण कम करना।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना।

ध्यातव्य है कि भारत में उपर्युक्त प्रयास ऐसे समय में किये जा रहे हैं जब भारत में मज़बूती से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है तथा विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति कमज़ोर हुई है।

केन्द्र सरकार का सुनियोजित षडयंत्र

केन्द्र ने राज्यों के कर-राजस्व पूल में से एक भाग स्थायी निधि रक्षा पर खर्च करने का निर्देश दिया है। वैसे तो कुल कर-राजस्व पूल में से 58 प्रतिशत केन्द्र और 42 प्रतिशत राज्यों का भाग होता है। केन्द्र सरकार, अपने 58 प्रतिशत में से रक्षा पर खर्च न करके, इसे राज्यों के जिम्मे डाल रही है। इससे आगे राज्यों को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ेगी।

सहकारी संघवाद के प्रारुप को राष्ट्रीयता के नाम पर छिन्न-भिन्न करने के बाद, अब सरकार कर-राजस्व दर को भी कमजोर करना चाहती है।

संभावना यह है कि जीएसटी परिषद् की तर्ज पर एक व्यय परिषद् बनाया जाएगा। इससे राज्य अपने व्यय के अधिकार को भी समाप्त कर देंगे।

भविष्य की राह

इसका एक समाधान राज्यों को आयकर की उगाही का अधिकार देना है।

गणतंत्र के गठन के बाद से ही राज्यों को आयकर लगाने का अधिकार नहीं रहा है। उनको कृषि पर लगाए जाने वाले छोटे करों की उगाही का ही अधिकार रहा है।

अमेरिका जैसे बड़े संघीय प्रजातंत्र में भी राज्यों को आयकर की उगाही का अधिकार है।

भारत एक विशाल अर्थव्यवस्था है। यहाँ के राज्यों में कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं। केन्द्र सरकार का कोई परिषद् राज्यों के आय-व्यय को निश्चित नहीं कर सकता। निर्वाचित राज्य सरकारों और उनके नेताओं को कठपुतली नहीं बनाया जा सकता। राज्य और केन्द्र के बीच के राजस्व संघवाद से जुड़े तनाव का परिणाम शुभ नहीं हो सकता। अतः राज्यों को आयकर की उगाही का पर्याप्त अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. B. J. Reed, John W. Swain (1996), Public Finance Administration, SAGE Publications Inc.
2. A. P. Mahajan & S. K. Mahajan (2014). Financial Administration in India, PHI Learning
3. डॉ. बी. एम. माथुर, (2013), वित्तीय प्रशासन
4. मंजूशा शर्मा/ओ. पी. बोहरा (2015), भारत में वित्तीय प्रशासन, किताब महल प्रकाशन।
5. द हिन्दू' में प्रकाशित प्रवीण चक्रवर्ती का लेख (23 अक्टूबर, 2019)
6. द हिंदू (29 अक्टूबर, 2019)
7. http://common.nic.in
8. http://hi.m.wikipedia.org
9. Yojana Magazine March 2020
10. प्रो. के. आर. बंग, वित्तीय प्रशासन, विद्या बुक्स।

Corresponding Author

Dr. Karambir*

Assistant Professor (Political Science), Government College, Dubaldhan, Jhajjar